भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .4892

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र 1948 (शक) को दिया जाना है)

डिजिटल ई-रुपये का चलन

4892.श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डिजिटल ई-रुपये का चलन अभी भी नाममात्र है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा डिजिटल ई-रुपये के चलन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार की, विशेषकर विदेशों में भुगतान के लिए डिजिटल ई-रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 12 मार्च, 2026 तक, प्रचलन में मौजूद कुल डिजिटल ई-₹ (ई-₹) का मूल्य ₹783.16 करोड़ है। 12 मार्च, 2026 तक खुदरा क्षेत्र में ई-₹ का संचयी लेनदेन मूल्य ₹33,191 करोड़ है।

(ख): वर्तमान में, ई-₹ प्रायोगिक चरण में है और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का उद्देश्य ई-₹ के विभिन्न उपयोगों का परीक्षण करना है। इस प्रायोगिक चरण की शुरुआत व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतानों से हुई थी और इसके बाद ऑफ़लाइन और प्रोग्रामेबल कार्यक्षमताओं का भी परीक्षण किया जा रहा है। प्रोग्रामेबिलिटी की विशिष्ट सुविधा का उपयोग कई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के लिए किया जा रहा है। इसके तकनीकी संरचना की भी निरंतर समीक्षा की जा रही है और यूपीआई के साथ अंतरसंचालनीयता, दशमलव भुगतान संसाधित करने की क्षमता आदि जैसी कई कार्यक्षमताओं को शामिल किया गया है। आरबीआई देश के नागरिकों को डिजिटल ई-रुपये की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बना रहा है।

(ग): आरबीआई, यूएई के केंद्रीय बैंकों, मॉरीशस बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय रूप से बातचीत कर रहा है, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) इनोवेशन हब सिंगापुर की बहुपक्षीय परियोजनाओं जैसे "प्रोजेक्ट मंडला और प्रोजेक्ट रियाल्टो" में भाग ले रहा है ताकि डिजिटल ई-रुपये का उपयोग करके सीमा पार भुगतान प्रसंस्करण और निपटान में और सुधार किया जा सके। हालांकि, उपरोक्त सभी पहलें अभी प्रारंभिक चरण में हैं और फिलहाल कोई भी सीमा पार व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
